RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11604/2026
URN: CW / 25683U / 2026

Kamlesh Kumar Chourasia, S/o Ramchand, Aged About 49 Years, Resident Of 84, Ara Machine Ke Samne, Nalla Mohalla, Jhalawar (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Additional Chief Secretary, Department Of Child Rights, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) -302005.
2. Commissioner And Member Secretary, Directorate, Department For Child Rights, 20/ 198, Kaveri Path, Manasarovar, Jaipur (Raj.) - 302020.
3. Additional Director Cum Deputy Secretary, Directorate, Department For Child Rights, 20/ 198, Kaveri Path, Manasarovar, Jaipur (Raj.)- 302020.
4. Assistant Director, District Child Protection Unit And Department For Child Rights, Govt. Children Home/specialized Adoption Agency Premises, Behind Sanskrit School, Dhanwada, Jhalawar (Raj.) - 326001.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Anubodh Jain
For Respondent(s)	:	Ms. Pooja Sharma, Mr. Vishal Kumar for Mr. Manoj Sharma, AAG Mr. Akash Gaur

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/07/2026

याची कमलेश कुमार की ओर से यह याचिका अयाचीगण द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) झालावाड़ हेतु लिये जा रहे साक्षात्कार में स्वयं को सदस्य के पद हेतु शामिल किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

अयाचीगण की ओर से अधिवक्ता पूजा शर्मा, श्री विशाल कुमार, श्री आकाश गौड़ अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी किये जावें।

अयाचीगण की ओर से अधिवक्ता पूजा शर्मा, श्री विशाल कुमार, श्री आकाश गौड़ अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं, जिन्हें औपचारिक नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

याची अधिवक्ता ने अन्तरिम आदेश की प्रार्थना की।

सुना गया।

याची अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 2023 में बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) झालावाड़ के अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2023 एवं 10.05.2023 को जारी की गई थी, जिसके पश्चात् पुनः दिनांक 31.01.2024 को बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यह अंकन किया गया कि ''पूर्व में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था, उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।'' वर्ष 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में याची ने **सदस्य** पद हेतु आवेदन किया था, जो आवेदन पत्र याचिका के साथ संलग्न है। उनका तर्क है कि वह उक्त पद हेतु पात्रता रखता है। याची द्वारा सदस्य पद हेतु आवेदन किये जाने के पश्चात् भी अयाचीगण (चयन समिति) द्वारा याची को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया है तथा साक्षात्कार हेतु जिन अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, उनकी सूची जारी की गई है, जिस सूची में याची का नाम अंकित नहीं है। उन्होंने प्रकट किया कि बाल कल्याण समिति, झालावाड़ हेतु साक्षात्कार कल दिनांक 07.07.2026 को लिये जा चुके हैं, जबकि उनकी याचिका लम्बित थी, परन्तु अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अतः याची को साक्षात्कार हेतु शामिल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अयाचीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने प्रकट किया कि अभी उन्हें पूर्ण निर्देश प्राप्त करने हैं, परन्तु प्रथम दृष्टया उन्हें बताया गया है कि याची/अभ्यर्थी के दस्तावेज पूर्ण नहीं थे अर्थात् वह पात्र नहीं था, इस कारण उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अभी अन्य कई

RAJASTHAN HIGH COURT

जिलों से संबंधित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों हेतु साक्षात्कार जारी है, जो अयाचीगण की चयन समिति द्वारा लिये जा रहे हैं।

सुना गया। याची ने यह याचिका साक्षात्कार की दिनांक 07.07.2026 से पूर्व ही दिनांक 20.06.2026 को प्रस्तुत कर दी थी तथा दिनांक 31.03.2023 एवं 10.05.2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में उसने सदस्य पद हेतु आवेदन कर दिया था। ऐसी स्थिति में यह अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि याची, यदि सदस्य पद हेतु वांछित पात्रता रखता है, तो अयाचीगण, याची को एक दिन का पूर्व (prior) नोटिस देकर बाल कल्याण समिति (CWC) झालावाड़ के सदस्य पद हेतु साक्षात्कार में शामिल करें। साक्षात्कार के उद्धेश्य से यह अनुमति अनन्तिम (provisional) है। याची के इस संबंध में अधिकार इस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

प्रकरण तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

117/VISHAL SHARMA